**फर्द अहकाम**

**(नियम–26)**

**अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली**

मूसा खां **बनाम** मिश्रीखां वगैरह

किस्म मुकदमा .......225... . राजस्व अपील संख्या 33 सन .2023.

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 20.04.2023 | यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर चितलवाना द्वारा प्रकरण संख्या 80/2021 बउनवान मिश्रीखां वगैरा बनाम मुसाखां वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 01.11.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर वकील अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पर एकपक्षीय बहस सुनी गई।<br><br>वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जैर अपील आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद मे अपीलांट द्वारा पक्षकार बनने हेतु दिनांक 26.03.2009 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.09.2009 को स्वीकार किये जाने के पश्चात अपीलांट दावे मे पक्षकार संयोजित किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा दिनांक 01.11.2021 को अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील आदेश पारित किया गया है। | |

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वादग्रस्त आराजी का दिनांक 02.06.2017 को बंटवाडा होकर बंटवाडा नंबर पडकर आराजी मुतदावीया तरमीम हो चुकी है। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम न तो खातेदारी मे रही है एवं न ही उक्त भूमि पर कब्जा काश्त रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.11.2021 को जैर अपील आदेश पारित किया गया है। उसके पश्चात आदिनांक तक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के सम्मन तामिल नहीं करवाये गये है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी को रेकर्डेड खातेदार है। कानून रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। जैर अपील आदेश की आड मे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अपीलांट की कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है, अगर वे ऐसा करने मे कामयाब हो गये तो अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अत जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा पत्रावली मे कार्यालय तहसीलदार चितलवाना के आदेश क्रमांक/राज/17 दिनांक 02.06.2017 की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त फोटोप्रति के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी का पूर्व मे बंटवाडा हो चुका है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार है। कानूनन रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद किया जाना उचित नहीं है।

इसके अतिरिक्त उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील अन्तरिम व्यादेश दिनांक 01.11.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करने के सम्बन्ध में जो प्रावधान दिए गए है, उनमे मुख्य रूप से आदेश 39 नियम 1 से 4 मुख्य है, जहां तक आदेश 39 नियम 3 सीपीसी का प्रश्न है, इस संबंध में आदेश 39 नियम 3 सी पी सी का उद्धरण इस प्रकार है–

आदेश 39 नियम 3

3. *Before granting injuction, Court to direct notice to opposite party-*

*The Court shall in all cases except where it appears that the object of granting the injunction would be defeated by the delay, before granting an*

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

*injunction direct notice of the application*

*for the same to given to be the opposite party*

*Provided that, where it is proposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, the court shall record the reasons for its opinion*

*that the object of granting the injunction would be defeated by dealy, and require the applicant-*

*(A) to deliver to the opposite party, or to send to him by registered post, immediately after the order granting the injunction has been made, a copy of the application for injunction together with-*

1. *a copy of the affidavit filed in support of the application.*
2. *a copy of the plaint and*
3. *copies of doucments on which the applicant relies, and*

*(b) to file, on the day on which such in such injunction is granted or on the day immediately following that day, and affidavit stating that the copies aforesaid have been so delivered sent.*

आदेश 39 नियम 3(क) सी.पी.सी में प्रावधित किया है कि " 3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to the finally dispose of the application within thirty days from the date on which injuntion was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय द्वारा 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलेखित करना चाहिए।

उपरोक्त कानून के सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील व्यादेश एकपक्षीय अंतरिम व्यादेश है। विधि अनुसार जहां एकपक्षीय रूप से अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाता है, ऐसे मामलो को न्यायालय द्वारा 30

राजस्व अपील प्राधिकारी

दिवस के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलेखित करना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैर अपील आदेश पारित किये हुए लगभग 2 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। किन्तु दिनांक 28.03.2023 की आदेशिका अनुसार पत्रावली मे रेस्पोडेन्टगण की तलबी पूर्ण नही हुई है। जो धारा 39 नियम 03 सी.पी.सी के प्रावधानो के विपरित है। ऐसी स्थिति मे जैर अपील आदेश को यथावत रखना उचित प्रतीत नहीं होता है। अत सहायक कलक्टर चितलवाना द्वारा प्रकरण संख्या 80/2021 बउनवान मिश्रीखां वगैरा बनाम मुसाखां वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 01.11.2021 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जाता है।

प्रकरण से संबधित मूल आदेश अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मे निर्णीत होगा। ऐसी स्थिति मे न्यायहित मे उक्त प्रकरण को हाजा न्यायालय मे विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

तद्नुसार सहायक कलक्टर चितलवाना को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय मे प्रकरण से संबधित विचाराधीन प्रकरण संख्या 80/2021 बउनवान मिश्रीखां वगैरा बनाम मुसाखां वगैरा_के अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3(क) के प्रावधानो की पालना करते हुए उभयपक्षो को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए 02 माह के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे। उक्त आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाली